

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

डीजीएफटी की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं पर एमआईएस रिपोर्ट

Posted On: 29 JUN 2017 7:17PM by PIB Delhi

सांख्यिकी और आर्थिक योजना के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिए भारतीय सांख्यिकी के जनक दिवंगत प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के अवसर पर 29 जून, 2017 को 11वें सांख्यिकीय दिवस के अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में वाणिज्य सचिव श्रीमती रीता तेवितया ने 'निर्यात प्रोत्साहन योजना 2017 पर एमआईएस रिपोर्ट' जारी की। यह रिपोर्ट विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने तैयार की है। रिपोर्ट जारी करने के अवसर महानिदेशक और वाणिज्य विभाग के अन्य विरष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

यह रिपोर्ट विदेश व्यापार नीति की निगरानी और आकलन के एक भाग के रूप में डीजीएफटी के सांख्यिकी प्रभाग द्वारा की गई एक पहल है। इस प्रकाशन में डाटा सारणियों, दृश्य प्रदर्शनों और डाटा विश्लेषण के रूप में विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अधीन मुख्य मापदंडों पर नवीनतम जानकारी दी गई है। यह रिपोर्ट जारी की गई आयात-निर्यात संहिता (ईईसी), प्राधिकार/जारी स्क्रिप्स और 2014-15 से 2016-17 तक की अविध के लिए विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत उनके सीआईएफ/एफओबी मूल्यों के बारे में अखिल भारतीय, संभागीय स्तर और क्षेत्रीय प्राधिकरणवार जानकारी उपलब्ध कराती है। यह रिपोर्ट जारी प्राधिकारों की संख्या, एफओबी और अग्रिम प्राधिकार के अधीन बचाई गई डयूटी और सीआईएफ मूल्य तथा एफटीपी की ईपीसीजी योजनाओं के बारे में आरए और सेक्टरवार (उत्पाद समूह) जानकारी उपलब्ध कराती है।

इस रिपोर्ट में आरए के आधार पर निर्धारित निर्यात दायित्व पूरे किये गये या लम्बित आदि की स्थिति के बारे में भी बताया गया है। इस रिपोर्ट की विदेशी व्यापार नीति का मुख्य हितधारकों के लिए और प्रक्रिया के बीच में ही सुधार के लिए आकलन करने हेतु एक आसान उपकरण के रूप में काम करने की उम्मीद है।

वीके/आईपीएस/वाईबी-1903

(Release ID: 1494129) Visitor Counter: 16









in